बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: स्था0 02/02-01/2016/..... /पटना, दिनांक.....

प्रेषक,

पूनम (भा०प्र०से०),

निदेशक।

सेवा में,

उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी), पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं सारण।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, नालंदा, नवादा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, रोहतास, कैमूर(भभुआ), गया, जहानाबाद, अरबल, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, मुंगेर, जमुई, खगड़िया, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, समस्तीपुर, बेगूसराय, बांका, भागलपुर, लखीसराय, शिवहर, शेखपुरा, सहरसा, सारण, सिवान, सुपौल, पूर्णियाँ, कटिहार, दरभंगा, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण एवं प० चम्पारण।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजना भिन्न बजट से मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना व्यय के वहन हेतु मुख्य शीर्ष 3454 के उपशीर्ष-0002-राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अन्तर्गत कुल ₹ 2,06,75,934/-(दो करोड़ छः लाख पचहत्तर हजार, नौ सौ चौतीस) रुपये का अतिरिक्त आबंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2016 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 30.03.2016 को स्वीकृति प्रदान की जा चूकी है।

2. वित्त विभाग के पत्रांक एम-4-09/2014-2793/वी० दिनांक 04.04.2016 एवं 4572 दिनांक-03.06.2016 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बजट में प्रावधानित राशि से योजना/गैर योजना मद में राशि आबंटित/व्यय किया जा सकता है।

3. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष-204- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष-0002-राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं0- 35 एवं विपत्र कोड- **N/3454022040002** है।

4. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 13 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना, संबंधित सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी) एवं सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे ।

5. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है । साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित